राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जोधपुर में राजस्थान विधिज्ञ परिषद् के नए भवन के निर्माण कार्य एवं बार काउंसिल के डिज़िटाइज़ेशन के फेज–1 के शुभारम्भ के अवसर पर माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री पंकज मित्थल का संबोधन।

दिनांक– 11.12.2022
समय– प्रातः 11.15 बजे

1. परम श्रद्धेय माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश माहेश्वरी साहब,
न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय।

2. माननीय श्री अशोक गहलोत साहब,
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।

3. बन्धुवर न्यायमूर्ति श्री संदीप मेहता,
प्रशासनिक न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय।

4. मेरे अन्य बन्धुवर माननीय न्यायाधिपतिगण,
राजस्थान उच्च न्यायालय।

5. श्री मनन कुमार मिश्रा,
अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया।

6. श्री सुरेश चन्द्र श्रीमाली,
सह–अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया।

7. श्री एम.एस. सिंघवी,
महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार।

8. श्री सुनील बेनीवाल,
अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान।

9. श्री योगेन्द्र सिंह शेखावत,
उपाध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान।

10. श्री जगमाल सिंह चौधरी,
संयोजक एवं सदस्य, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान।

11. श्री नाथुसिंह राठौड़,
अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट ऐडवोकेट्स एसोसिएशन, जोधपुर।

12. डॉ निखिल डुंगावत,
उपाध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन, जोधपुर।

13. बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के समस्त सदस्यगण ।

14. विद्वान अधिवक्तागण।

15. रजिस्ट्री के अधिकारीगण।

16. उपस्थित देवियों एवं सज्जनों।

****

1. राजस्थान बार काउंसिल के नए भवन के निर्माण कार्य एवं बार काउंसिल के डिज़िटाइज़ेशन के प्रथम फेज के शुभारंभ समारोह की अध्य क्षता करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का बहुत आभारी हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायामूर्ति माननीय श्री दिनेश माहेश्वरी साहब व राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री गहलोत साहब दोनों ही जोधपुर के मूल निवासी हैं एवं इन दोनों की गरिमामयी उपस्थिति इस अवसर को और अधिक सुशोभित करती है।

2. जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, बार काउंसिल के प्रस्तावित नवीन भवन के भूतल पर 500 व्यक्तियों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, स्ट्रांग–रूम, स्टॉफ–रूम आदि का निर्माण, जमीन तल पर बार काउंसिल के सचिव व पदाधिकारियों के कक्ष व अन्य सुविधाऐं विकसित की जायेंगी। साथ ही, प्रथम व द्वितीय तल पर बार काउंसिल के चेयरमैन, वाईस–चेयरमैन के कक्ष, मीटिंग–हॉल, मल्टीपरपज–हॉल एवं ऑफिस आदि का निर्माण कराया जायेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बार काउंसिल के इस नवीन भवन का निर्माण राजस्थान उच्च न्यायालय के परिसर के अन्दर ही किया जा रहा है, जो प्रायः नहीं होता है और इस प्रकार यह न केवल अधिवक्तागणों बल्कि आम जनता के लिए भी काफी सुविधाजनक रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि इस भवन का नव–निर्माण समयबद्ध तरीके से शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

3. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान अधिवक्ताओं का सर्वोच्च निकाय है, जो अधिवक्ता पेशे में प्रवेश, अनुशासन और उनकी सेवानिवृत्ति आदि कार्यों को संचालित एवं नियंत्रित करता है। इसका भारतीय न्यायपालिका में एक प्रमुख और प्रतिष्ठित स्थान हमेशा से रहा है तथा इसे उच्च मानकों; पेशेवर आचरण; अधिवक्ताओं के शिष्टाचार; गुणात्मक कानूनी शिक्षा प्रदान

करना; अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करना; बार संघों और अधिवक्ताओं के विकास और कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं को बढ़ावा देना; सदस्य अधिवक्ताओं को बीमारी पर, सेवानिवृत्ति पर एवं मृत्यु दावों पर आश्रितों को सहायता राशि प्रदान करना, समाज के गरीब वर्ग को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना इत्यादि जैसे कार्यों के निर्वहन की अपनी अनूठी शैली के कारण एक प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध संस्थान माना जाता है।

4. यह स्वयंसिद्ध है कि विधिक पेशे को समाज में एक सम्माननीय पेशे का दर्जा दिया गया है और इसे व्यापार या व्यवसाय के समकक्ष कतई नहीं कहा जा सकता है। यह लोगों की नागरिक एवं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने एवं बढावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक स्वतंत्र एवं निडर अधिवक्ता संघ सच्चे तथा स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने व बढ़ावा देने के लिए अहम और महत्वपूर्ण होता है। चूंकि अधिवक्ताओं के पास विधि की कौशलता के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों की भी पर्याप्त जानकारी व अनुभव होता है, इसी कारण इन्हें 'विद्वान' शीर्षक से सम्बोधित किया जाता है।

5. इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी अधिवक्तागण न्याय प्रशासन का एक अहम हिस्सा होते है एवं इनका न्याय प्रदान करने की व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। बार और बेंच न्याय प्रदान करने वाले एक ही रथ के दो पहिए होते है जो एक दूसरे के पूरक होते है और इन दोनों में परस्पर सामंजस्य होना अति–आवश्यक है। दोनों ही पीड़ित पक्ष को न्याय सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं। अधिवक्ता न्यायालय का एक अधिकारी होता है जो न केवल न्याय प्रदान करने में न्यायालय का सहयोग करता है बल्कि न्यायालय के बाहर समाज में न्यायालय के एम्बेसेडर के रूप में कार्य करते हुए अपनी दोहरी भूमिका निभाता है। योग्य और सक्षम वकीलों के सहयोग से ही न्यायालय सुचारू रूप से अपना कार्य करने में सक्षम हो पाता है।

6. राजस्थान में अभी तक के अपने कार्यकाल के दौरान मैंने यह अनुभव किया है कि यहाँ के अधिवक्तागण बहुत ही विनम्र, मेहनती और

अपने कार्य के प्रति समर्पित है तथा परस्पर सहयोग की भावना से हमेशा समाज के हित में कार्य करते हैं।

7. जैसा कि हम सब जानते है, राजस्थान बार काउंसिल ने ऐसे अनेक प्रतिष्ठित कानूनी दिग्गज देश को दिए हैं जिन्होंने ना केवल सर्वोच्च न्यायिक पदों को सुशोभित किया है बल्कि अपने अनुभव और कार्यशैली से अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों और कार्यक्षेत्रों में भी प्रतिमान स्थापित किया है। इस तरह के प्रतिष्ठान से जुड़ना मेरे लिए बहुत ही गर्व व सौभाग्य की बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहां के युवा अधिवक्तागण भी इन्हीं मापदण्ड़ों का अनुसरण करते हुए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान तथा राजस्थान राज्य का नाम रोशन करते रहेंगे।

8. बार काउंसिल के भवन निर्माण के कार्य व बार काउंसिल के डिज़िटाइज़ेशन के शुभारंभ के इस अवसर पर यह कहना अप्रसांगिक नहीं है कि आने वाले समय में न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में तकनीक की एक बहुत बडी भूमिका रहने वाली है एवं इसका प्रयोग न केवल अधिवक्ताओं को अपना कार्य कुशलता से पूर्ण करने में मदद करेगा, बल्कि पक्षकारों के लिए भी काफी लाभदायक साबित होगा और इस प्रकार हम सुलभ व शीघ्र न्याय प्रदान करने में सफल हो पाएंगे।

9. मुझे पूर्ण विश्वास है कि बार काउंसिल का डिजिटाइजेशन और इसका नवनिर्मित भवन बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को अपने कर्तव्यों, भूमिकाओं और कार्यों को सुचारू और प्रभावी तरीके से निर्वहन करने में गतिशीलता प्रदान करेगा और साथ ही साथ बार के सदस्यों एवं बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए भी उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा।

सत्यमेव जयते।

धन्यवाद।